



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या-25

22 पौष, 1928 शकाब्द

राँची, शुक्रवार 12 जनवरी, 2007

स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

8 जनवरी, 2007

विषय:- राज्य के पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल धनबाद/महात्मा गाँधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर के इन्टर्न्स, गृह चिकित्सक स्नातकोत्तर छात्रों की छात्रवृत्ति/वृत्तिका के दरों में पुनरीक्षण की स्वीकृति ।

संख्या-4(12)-- राज्य के पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल धनबाद/महात्मा गाँधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर के इन्टर्न्स, गृह चिकित्सक, स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा छात्रों की छात्र वृत्ति/वृत्तिका का भुगतान राज्य योजना मद से किया जाता है ।

2. इन चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में छात्र वृत्ति/वृत्तिका की वर्तमान दरें दिनांक 1 जनवरी, 2001 से प्रभावी हैं, जो तत्कालीन मुख्य सचिव की एकल समिति की अनुशंसा पर पुनरीक्षित की गई थी ।

3. चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के चिकित्सा सेवा के संचालन में इन्टर्न्स गृह चिकित्सकों पी०जी० छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वृत्तिका एवं छात्रवृत्ति के वर्तमान दरों को पुनरीक्षित किया जाय, ताकि इनकी सेवाओं को अधिक प्रभावकारी रूप दिया जा सके ।

4. अतः राज्य के उपरोक्त चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में इन्टर्न्स गृह चिकित्सकों स्नातकोत्तर छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति/वृत्तिका के दर को दिनांक 1 अप्रैल, 2006 के प्रभाव से निम्नवत् पुनरीक्षित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2 झारखण्ड गजट, (असाधारण) शुक्रवार 12 जनवरी, 2007

क्रमांक	स्टाईपण्ड की श्रेणी	वर्तमान दर	पुनरीक्षित दर
1	इन्टर्न्स	2,750/-प्रतिमाह	3,750/-प्रतिमाह
2	गृह चिकित्सक	4,000/-प्रतिमाह	4,750/-प्रतिमाह
3	स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (डिग्री/डिप्लोमा)	6,800/-प्रतिमाह	9,200/-प्रतिमाह
4	स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष	7,300/-प्रतिमाह	10,000/-प्रतिमाह
5	स्नातकोत्तर तृतीय वर्ष	7,800/-प्रतिमाह	10,800/-प्रतिमाह

उपरोक्त संशोधित दर एवं व्यवस्था दिनांक 1 अप्रैल, 2006 के भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
एन० एन० पाण्डेय,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
झारखण्ड गजट (असाधारण) 25-300+100--रानि मुण्डा ।